1550
30/3/17

उत्तर प्रदेश शासन,
कर एवं निबन्धन अनुभाग–6
संख्या–230 / क0नि0–6–2017–एम(92) / 2009 टी0सी0
लखनऊ: दिनाँक: 27 मार्च, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1979) की धारा 3–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–1315/11क0नि0–6–2013–एम(92)/2009 दिनांक 28 नवम्बर, 2013 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से किसी सिनेमा का मालिक सिनेमा परिसर के अनुरक्षण हेतु प्रति टिकट के मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर 8.00 रूपये का निम्नलिखित शर्तों के साथ उपयोग करेगा कि, –

(क) सिनेमा के मालिक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सिनेमा परिसर के अनुरक्षण हेतु वसूल की गयी धनराशि का उपयोग उसके द्वारा पूर्णतः सिनेमा के अनुरक्षण के लिए कर लिया गया है ;

(ख) यदि उसके द्वारा अनुरक्षण प्रभारों के रूप में वसूल की गयी धनराशि अप्रयुक्त या संतोषजनक रूप में प्रयुक्त नहीं पायी जाती है तो उससे सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी।

अपर आयुक्त
30-3-17
आयुक्त
DC
30-3-17
डी0(R)
30-3-17

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

1550 30/3/17

UTTAR PRADESH SHASHAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG–6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 230 /11-Ka.Ni-6-2017-M(92)/2009 (TC), dated. 27 March, 2017

NOTIFICATION

No. 230 /11-Ka.Ni-6-2017-M(92)/2009 (TC)
Lucknow Dated 27 March, 2017.

अप(आयुक्त)

30-3-17
आयुक्त

DC

30.3.17
Sri Sandeep.
ETO(AJ)

30.3.17

In exercise of the powers under section 3-A of the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979 (U.P. Act no. 28 of 1979), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in partial modification of Government notification no. 1315 / 11-Ka.Ni-6-2013-M(92)/2009 dated 28 November, 2013 the Governor is pleased to order that, with effect, from the date of publication in the Gazette proprietor of a cinema shall utilize Rs. 8.00 from the value of each ticket excluding Entertainment tax for the maintenance of cinema premises, with the conditions that,-

(a) **the proprietor of the cinema shall within three months of the expiry of every financial year submit an affidavit of this intention to the District Magistrate that the amount realized for maintenance of the cinema premises has been fully utilized by his/her for the maintenance of the cinema;**

(b) **if the amount realized by him/her as the maintenance charges is found to be unutilized or not satisfactorily utilized the entire amount shall be realized from him/her.**

By order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Additional chief secretary